माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक १५, १९९० द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र/नामांकन/2567 दिनॉक 11/09/2014

परिपत्र

विश्वविद्यालय द्वारा माईग्रेशन प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। छात्रहित में विश्वविद्यालय द्वारा माईग्रेशन प्रमाण पत्रों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के साथ–साथ एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड की सिटीजन सर्विस पर भी छात्रों हेतु उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब छात्र अध्ययन संस्थाओं को दिये गये **ID** के माध्यम से अथवा एम.पी. ऑनलाइन लि. की सिटीजन सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थी स्वयं एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड की सिटीजन सर्विस पर University Link के अंतर्गत MCRPV Link में जाकर Online आवेदन कर सकते हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि अध्ययन संस्थाओं द्वारा छात्रों के माईग्रेशन आवेदन आनलाईन व्यवस्था के तहत नहीं किये जाते हैं। छात्रों को नियमों एवं प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं दी जाती है और ऑफलाईन आवेदन करने हेतु कहा जाता है। अध्ययन संस्थाओं द्वारा इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।

सभी अध्ययन संस्थाओं एवं छात्रों को सूचित किया जाता है कि सत्र जुलाई 2008 (नामांकन सिरीज "Z") एवं इसके उपरांत की सभी नामांकन सिरीज वाले छात्रों के माइग्रेशन आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगें। *इन छात्रों के ऑफलाईन/हस्तलिखित आवेदन (डाक द्वारा अथवा छात्र द्वारा स्वयं उपस्थित होकर) किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जावेंगे।*

सत्र जुलाई 2008 (नामांकन सिरीज "Z") के पूर्व के सत्रों के विद्यार्थी यदि ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे छात्रों के नियमानुसार ऑफलाईन/हस्तलिखित आवेदन, डी.डी. सहित स्वीकार किये जा सकेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सुविधा के लिए Window System की व्यवस्था दी गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदक छात्र स्वयं उपस्थित होकर अपना माइग्रेशन आवेदन समस्त सेमेस्टर की उत्तीर्ण अंकसूचियो सहित, प्रातः 10.30 से दोपहर 01.30 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर सायं 04.30 से 05.00 बजे के मध्य माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान किये जावेंगे। यदि छात्र स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है तो किसी अन्य को Authority Letter देकर माईग्रेशन प्राप्त किया जा सकता है। Authority Letter का वाहक को अपना फोटो आईडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ एवं छात्र तत्काल प्रभाव से उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करें।

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (ए.एस.आई) की ओर समस्त अध्ययन संस्थाओं को सूचित करने हेतु।
2. प्रभारी ऑनलाईन की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. निजसचिव, कुलपति/कुलाधिपति/कुलसचिव।
4. आदेश फाइल।